



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122025-268627
CG-DL-E-18122025-268627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5677]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947

No. 5677]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5873(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2 के खंड (ए) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा श्री भास्कर एस. दवे, जी.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अंगारेश्वर-डीएमडी जल पाइपलाइन पुनर्निर्देशन परियोजना और बरियाव-एचएमडी जल पाइपलाइन पुनर्निर्देशन परियोजना के लिए गुजरात राज्य में उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निष्पादन करने के लिए अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-12029/1/2025-ओआर-I /ई-54331]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2025

S.O. 5873(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Bhaskar S. Dave, G.A.S. (Retired) to perform the functions of Competent Authority under the said Act in the State of Gujarat for the Angareshwar-DMD Water Pipeline re-route Project & Variyav-HMD Water Pipeline re-route Project of M/s. Reliance Industries Limited.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-12029/1/2025-OR-I /E-54331]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.